रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1994/अग्रहायण 15, 1916
No. 502] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 1994/AGRAHAYANA 15, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1994

संख्या 195/94—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 846(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 177/94-सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1994 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त सूचना के पैरा 1 में अंत (12) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(13) उक्त जोन में विनिर्मित और विदेश जाने वाले यात्री को बेचे गए रत्न और आभूषणों को आयात और निर्यात नीति के अनुसार इस अधिसूचना के उपा-

खण्ड 11 में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर प्रस्थान विश्रामकक्ष या सीमा-शुल्क भाण्डागार में स्थापित फुटकर बिक्री केन्द्रों या शो रूमों में निर्यात के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में सीमाशुल्क कलक्टर, द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त यात्री को सौंपे जाने के लिए अंतरित किया जा सकेगा।"

[फा. सं. 315/15/93-टी टी.]

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. 177/94—सीमाशुल्क, दिनांक 21 अक्तूबर, 1994 [सा. का. नि. 771(अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 1994] के तहत प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1994

No. 195/94-CUSTOMS

G.S.R. 846(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 177/94-Customs, dated the 21st October, 1994, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, after condition (12) and the entry relating thereto the following shall be inserted, namely :—

"(13) gem and jewellery manufactured in the said Zone and sold to a foreign bound passenger may be transferred in accordance with the Import and Export Policy to the retail outlets or showrooms set up in the departure lounge or customs warehouse at international Airports specified in the Annexure-II to this notification for being handed over to the said passenger for the purpose of export, as per procedure specified by the Collector of Customs in this regard.".

[F. No. 315/15/93-FTT]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Note —The principal notification was published in the Gazette of India vide notification No. 177/94-Customs, dated 21st October, 1994 (G.S.R. No. 771(E), dated 21st October, 1994).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995